#ShramNahiShiksha

#श्रमनहींशिक्षा

Campaign Against Child Labour

बच्चों का मांग पत्र

हम बच्चे, मांग करते हैं कि:

- बाल श्रम के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए । 18 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को स्कूल के बाद या छुट्टियों के दौरान किसी भी घरेलू व्यवसाय में काम करने की अनुमति या मजबूर नहीं किया जाना चाहिए ।

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए । छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों में बाल श्रमिक के रूप में बच्चों को शामिल ना किया जाए, इसकी निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ।

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में उल्लिखित खतरनाक और गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची की निरंतर समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए ।

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का दायरा 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए बढ़ाया जाए । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुफ़्त किताबें, वर्दी, मध्याहन भोजन आदि जैसी सुविधाएँ अंतिम सीमा तक खड़े बच्चों तक पहुचाई जानी चाहिए ।

- कोविड-19 के दौरान हममें से बहुत सारे बच्चों के माता-पिता ने अपनी आजीविका खो दी है जिसकी वजह से हम शिक्षा से वंचित होकर बाल श्रमिकों के रूप में काम करने और अपने परिवारों की मदद करने को मजबूर हो गए हैं। सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कराके हमारे माता-पिता की आजीविका को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि हमें बाल श्रमिक बनने के लिए मजबूर न होना पड़े।

- प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को संभावित बाल श्रमिक बनने से बचाना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक पहुँचाया जाना चाहिए और उनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- मध्याह्न भोजन योजना के उचित कार्यान्वयन और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए हमारी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए । कोविड-19 के दौरान घर ले जाने वाले राशन की स्कीम को ठीक से लागू नहीं किया गया जिससे बच्चों को अपनी व अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल श्रमिक के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- ग्राम स्तर की बाल संरक्षण समितियों से लेकर सभी स्तरों पर बाल संरक्षण तंत्र स्थापित और सक्रिय किए जाने चाहिए ताकि सभी बच्चों को दुर्व्यवहार या शोषण से सुरक्षा दी जा सके। ये समितियाँ जरूरत पड़ने पर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में भी सहायता कर सकती हैं।

- प्रत्येक गांव/समुदाय के स्तर और स्कूलों में बाल समिति/बाल पंचायतों की स्थापना और सक्रियता के माध्यम से बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे खुद से जुड़े विभिन्न मुद्दों जिसमें बाल श्रम भी शामिल हो, पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

- विभिन्न विभागों और हितधारकों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज और शिक्षा विभाग को बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 और अन्य संबंधित कानूनों के संबंध में बच्चों, माता-पिता और समुदाय के सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। जागरूकता पोस्टर, फिल्म और संचार के अन्य संवाद के तरीकों के माध्यम से पैदा की जा सकती है। इस तरह के जागरूकता अभियान स्कूलों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों तक भी पहुंचने चाहिए।